


कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड-नवम्,

राजस्थान आवासन मण्डल, मानसरोवर, जयपुर



क्रमांक : RE-IX/JPR/2022-23/1314

दिनांक : 27.03.2023

बिड सूचना संख्या – RE-IX/18/2022-23

राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर योजना के अरावली एन्क्लेव में निम्नलिखित कार्य हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ऑनलाईन बिड क्रम संख्या 1 के लिए ई-प्रोक पोर्टल पर आनलाईन बिड आवासन मण्डल में पंजीकृत समुचित श्रेणी एवं अन्य विभागों में पंजीकृत संवेदको से आमन्त्रित की जाती है। ई-प्रोक पोर्टल पर आनलाईन बिड हेतु प्रपत्र, ड्राफ्ट एवं प्रोफार्मा A, B, C & D दिनांक 29.03.2023 से 12.04.2023 को सांय 06.00 बजे तक अपलोड/डाऊनलोड की जानी है। बिड शुल्क मय जी.एस.टी.एवं अमानत राशि का ड्राफ्ट आवासीय अभियन्ता, खण्ड-नवम्, रा0 आ0 म0, मानसरोवर, जयपुर के पक्ष में देय एवं आनलाईन शुल्क राशि रूपये 500/- + 18 प्रतिशत जी. एस. टी. का ड्राफ्ट जो कि MD RISL JAIPUR पक्ष में देय बनवाकर, मूल प्रपत्रों के साथ मूल ही कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड-नवम्, रा0 आ0 म0, मानसरोवर, जयपुर में दिनांक 13.04.2023 को दोपहर 02:00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा। बिड उसी दिवस को सांय 04.00 बजे ई-प्रोक पोर्टल से खोली (डाऊनलोड की) जायेगी। अमानत राशि 0.50 प्रतिशत आवासन मण्डल में पंजीकृत संवेदको हेतु तथा अन्य विभागों में समुचित श्रेणी में पंजीकृत संवेदको हेतु 2 प्रतिशत राशि नियमानुसार लागू है। उपरोक्त कार्य दिवसो पर सार्वजनिक अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस पर बिड विक्रय एवं प्राप्त कर खोली जायेगी।

क्रं सं.	कार्य का नाम	यू. बी. एन. नम्बर	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	बिड शुल्क (रूपये)	कार्य की अवधि
1	Construction of Open Parking Covering in Arawali Marg, Sector-08, Mansarovar, Jaipur	RHB2223W50 B00502	9.33	1000 + 18% GST	03 माह

नोट :-

1. प्राप्त बिड बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है।
2. राजस्थान आवासन मण्डल में भविष्यनिधि/जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दायित्व ठेकेदार को वहन करना होगा, सशर्त बिड स्वीकार नहीं होगी।
3. बिड शुल्क/प्रक्रिया शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर नियमानुसार GST अतिरिक्त देय होगा।
4. क्रम संख्या 1 की बिड आवासीय अभियन्ता, ई-प्रोक, जयपुर कार्यालय में खोली जायेगी।
5. निविदा से संबंधित समस्त विवरण एवं शर्तें बेवसाईट urban.rajasthan.gov.in https://eprocc.rajasthan.gov.in एवं sppp.rajasthan.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

(के. के. दीक्षित)

आवासीय अभियन्ता,

राजस्थान आवासन मण्डल,

खण्ड नवम्, मानसरोवर, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय/वित्तीय सलाहकार, रा0 आ0 म0, जयपुर।
2. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, रा0 आ0 म0, मानसरोवर, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (सिस्टम), रा0 आ0 म0, जयपुर को मण्डल की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. आवासीय अभियन्ता, ई-प्रोक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
5. रक्षित पत्रावली/कार्यालय प्रति।

आवासीय अभियन्ता,

राजस्थान आवासन मण्डल,

खण्ड नवम्, मानसरोवर, जयपुर